. नदियों में बढ़ता हुआ प्रदूषण

1144. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं,

(ख) सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है,

(ग) क्या यह सच है कि सरकार नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोक पाने में पूर्णत: असफल रही है, और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए नदी कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य नदियों के किनारे स्थित बड़े शहरों से उत्पत्र सीवेल तथा नदी में बिना जाले/आंशिक रूप से जल शर्वों को फेकने एंव खुले में शौच के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थलों से हुए रन-आफ जैसे अन्य गैर-बिन्दु स्त्रोतों से होने वाले नदी प्रदूषण को कम करना है। उद्योगों के बहि:स्त्राच से होने वाले प्रदूषण की निगरानी एंव नियंत्रण वर्तमान पर्यावरण कानूनों के अन्तर्गत की जाती है। गंगा नदी के प्रदूषण कानूनों के अन्तर्गत की जाती है। गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1985 में 25 शहरों में गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई प्रदूषण निवारण की 261 स्कीमों में से 251 स्कीमें पूरी की जा चुकी है तथा अब तक 447.54 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। गंगा नदी तथा यमुना, गोमती एंव दामोदर जैसी इसकी प्रमूख सहायक नदियों के किनारे स्थिति अतिरिक्त शहरों को शामिल करने के लिए गंगा कार्य योजना के चरण-॥ का शुभारंभ किया गया है। यह योजना अप्रैल, 1993 से अक्तूबर, 1996 के बीच चरणों में अनुमोदित की गई थी तथा इसमें 5 राज्यों में 4 नदियों के किनारे स्थित 95 शहरों को शामिल किया गया है। गंगा कार्य योजना चरण-॥ की 1281.17 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत में से अब तक 167.95 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। अन्य प्रदूषित नदियों को शामिल करने के लिए 10 राज्यो में 18 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित 46 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य के लिए 772.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अनुमोदन जुलाई, 1995 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 31.43 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत 68 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों का अभिनिर्धारण किया गया है तथा इनकी निगरानी की जा रही है। इन उद्योगों में से 45 उद्योगों ने बहि:स्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं तथा शेष 23 उद्योगों को बंद करा दिया गया है। इसके अलावा जल (प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितितोयं को उन दोषी उद्योगों को निटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जो नदियों और झीलों में अपना बहि:स्त्राव सीधे निस्तारित कर रहे हैं तथा निर्धारित व्स्तारण मानकों का अनुपालन करने के लिए 3 माह का समय देने अथवा ऐसा न करने पर बपंद करने के संबंध में नोटिस जारी करने को कहा गया है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रचालन एंव रख-रखाव के लिए धन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में बिहार एंव उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के सामने कुछ कठिनाइयां आ रही है। राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। गंगा कार्य योजना चरण-॥ तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक अन्य कार्यक्रमों का इस समय कार्योन्वयन किया जा रहा है।

Ayurvedic Medicinal Plants

1145. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received a communication from Ayurvedic Drugs Manufacturers' Association demanding a review of the list of various varieties of Ayurvedic Medicinal Plants banned for export;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision, if any, taken by Government after the review is made?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes Sir. The Ayurvedic Drugs Manufacturers' Association had been requesting for allowing the export of formulations made from 18 plants obtained from the wild, which are included in the prohibited list of export.